न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 457 / 2023

अनवान : –

1. गुरूदेवसिंह पुत्र श्री भगतसिंह जाति रामगढ़िया सिक्ख निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. बलदेव सिंह पुत्र श्री भगतसिंह जाति रामगढ़िया सिक्ख निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 16/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 7 जीजीएम के खाता सं. 30 / 30 के पत्थर नं. 396 / 464 के मु० नं0 89 के किला नं. 1 / 1, 1 / 2, 1 / 3 2 ता 9, 10 / 1, 10 / 2 10 / 3 11, 12 / 1 12 / 2, 12 / 3, 13 ता 17, 18 / 1, 18 / 2, 18 / 3 19 ता 22, किला नं. 23 / 1 23 / 2, 23 / 3 24, 25 कुल किता 35 की कुल 6.325 हैक्टर (जिसमें नहरी 1.493 हैक्टर, बारानी 4.706 हैक्टर, गै०मु० खाला 0.126 हैक्टर) कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है।

वादीगण की कृषि भूमि के मु० नं० 89 के किला नं. 1 / 3 10 / 1, 10 / 2 10 / 3 12 / 1, 12 / 2, 12 / 3 व 24 की कुल 0.879 हैक्टर यानि 3 बिघा 10 बिस्वा भूमि नहरी कृषि भूमि है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में सहबन से उक्त कृषि भूमि आज भी बारानी दर्ज चली आ रही है। कमाण्ड–अनकमाण्ड हेतु वादीगण ने अधिशाषी अभियंता आरडब्ल्युएसआरपी खण्ड भादरा से दिनांक 29.05.2023 को अपनी राजस्व रिकॉर्ड की रिपोर्ट मांगी थी। उपरोक्त किला नं. 1 / 3, 10 / 1 10 / 2, 10 / 3 12 / 1, 12 / 2 12 / 3 व 24 की कुल 0.879 हैक्टर यानि 3 बिघा 10 बिस्वा कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज होने से वादीगण को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि पर अनुदान हेतु डिग्गी फार्म एप्लाई करने, केसीसी ऋण लेने व अन्य दीगर तरीके से मुन्तकिल करने में कृषि भूमि की किस्म सही नही होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड रहा है। इस कारण वादीगण उक्त साढे तीन बिधा कृषि भूमि की किस्म को बारानी की बजाए नहरी घोषित करवाने के मजाज कानूनी है। वादी का वाद डिक्री किया जावे।

घोषणा की जावे कि चक 7 जीजीएम खाता सं. 30 / 30 के पत्थर नं. 396 / 464 के मु० नं0 89 के किला नं. 1 / 3, 10 / 1, 10 / 2 10 / 3, 12 / 1, 12 / 2 12 / 3 व 24 की कुल 0.879 हैक्टर यानि 3 बिघा 10 बिस्वा कृषि भूमि नहरी / कमाण्ड कृषि भूमि है। बाद किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:03:06 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जाने घोषणा तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि की किस्म नहरी / कमाण्ड दर्ज की जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि अनकमाण्ड भूमि को कमाण्ड दर्ज कर देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई कि चक 10 डीपीएन के प0न0 396/464(89) किला न0 1/2, 10/2, 12/2 गैमु0 खाला दर्ज है एवं किला न0 1/3, 10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 12/3 व 24 से सिंचाई की जा रही है।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादीगण की कृषि भूमि के मु० नं० 89 के किला नं. 1/3 10/1, 10/2 10/3 12/1, 12/2, 12/3 व 24 की कुल 0.879 हैक्टर यानि 3 बिघा 10 बिस्वा भूमि नहरी कृषि भूमि है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में सहबन से उक्त कृषि भूमि आज भी बारानी दर्ज चली आ रही है। कमाण्ड–अनकमाण्ड हेतु वादीगण ने अधिशाषी अभियंता आरडब्ल्युएसआरपी खण्ड भादरा से दिनांक 29.05.2023 को अपनी राजस्व रिकॉर्ड की रिपोर्ट मांगी थी। उपरोक्त किला नं. 1/3, 10/1 10/2, 10/3 12/1, 12/2 12/3 व 24 की कुल 0.879 हैक्टर यानि 3 बिघा 10 बिस्वा कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज होने से वादीगण को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि पर अनुदान हेतु डिग्गी फार्म एप्लाई करने, केसीसी ऋण लेने व अन्य दीगर तरीके से मुन्तकिल करने में कृषि भूमि की किस्म सही नही होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड रहा है। इस कारण वादीगण उक्त साढे तीन बिधा कृषि भूमि की किस्म को बारानी की बजाए नहरी घोषित करवाने के मजाज कानूनी है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 7 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 30/30 के किला न0 1/3, 10/1 10/2, 10/3 12/1, 12/2 12/3 व 24 की कुल 0.879 हैक्टर यानि 3 बिघा 10 बारानी दर्ज है। वादी द्वारा उक्त किला न0 की भूमि को बारानी से नहरी/कमाण्ड दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है। वादी का कथन है कि उपरोक्त किला नं. 1/3, 10/1 10/2, 10/3 12/1, 12/2 12/3 व 24 की कुल 0.879 हैक्टर यानि 3 बिघा 10 बिस्वा कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज है लेकिन उक्त किला न0 से नहरी से सिंचाई होती है अत इन किला न0 को बारानी से नहरी/कमाण्ड दर्ज किया जावे। तहसीलदार नोहर एव अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा के पत्रांक 1057 दिनांक 29.05.2023 से वादी के कथनों की पुष्टि होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:03:06 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के मुताबिक चक 10 डीपीएन के प0न0 396/464(89) किला न0 1/2, 10/2, 12/2 गैमु0 खाला दर्ज है एवं किला न0 1/3, 10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 12/3 व 24 से सिंचाई की जा रही है एवं अधिशाषी अभिंयता जल संसाधन खण्ड भादरा के पत्रांक 1057 के मुताबिक किला न0 1/3, 10, 11, 12, 19 ता 24 कमान्ड दर्ज है। अतः वादीगण का वाद साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार नोहर एवं अधिशाषी अभिंयता की रिपोर्ट के आधार पर मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 30/30 के प0न0 396/464 के मु0न0 89 के किला न0 1/3, 10/1 10/3, 12/1, 12/3 व 24 की भूमि बारानी से नहरी/कमाण्ड दर्ज की जाती है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/03/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:03:06 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 457 / 2023

अनवान : –

1. गुरूदेवसिंह पुत्र श्री भगतसिंह जाति रामगढ़िया सिक्ख निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. बलदेव सिंह पुत्र श्री भगतसिंह जाति रामगढ़िया सिक्ख निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 457 सन 2023 निर्णय दिनांक 16/03/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 30 / 30 के प0न0 396 / 464 के मु0न0 89 के किला न0 1 / 3, 10 / 1 10 / 3, 12 / 1, 12 / 3 व 24 की भूमि बारानी से नहरी / कमाण्ड दर्ज की जाती है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....16/03/26.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:03:06 IST
Reason: SelfAttested